न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 9/2023 ई.रे.

1– सीताराम पिता भगवानलाल मालू नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
2– प्रकाशचन्द्र पिता आत्माराम महाजन नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
3– श्यामलाल पिता आत्माराम महाजन नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
4– हीरालाल पिता आत्माराम महाजन नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी

– **प्रार्थीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48 व 49 आर.टी.एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :– 30/01/2025**

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी क्रमांक 1 सीताराम की खातेदारी की आराजी नंबर 215 रकबा 0.2700 हैक्ट., आराजी नं. 218 रकबा 0.0800 हैक्ट., आराजी नं. 222 रकबा 0.4800 कुल किता 3 रकबा 0.8300 हैक्ट. ग्राम सुथारियाखेडा पटवार हल्का बोहेड़ा बी में स्थित है। तथा प्रार्थीगण क्रमांक 2 लगायत 4 की खातेदारी की आराजी नं. 213 रकबा 0.2700, आराजी नं. 220 रकबा 0.0600, आराजी नं. 221 रकबा 0.4900 कुल किता 3 रकबा 0.8200 हैक्ट. ग्राम सुथारियाखेडा पटवार हल्का बोहेड़ा बी में स्थित है। प्रार्थी क्रमांक 1 सीताराम तथा प्रार्थीगण क्रमांक 2 लगायत 4 एक ही वर्ग के खातेदार काश्तकार है। तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का कुल खसरा एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का कुल खसरा लगभग एक समान है तथा 0.0100 हैक्ट. का ही अंतर है।

प्रार्थी क्रमांक 1 अपनी खातेदारी में दर्ज आराजीयात जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में किया गया है का विनिमय प्रार्थीगण क्रमांक 2 से 4 की खातेदारी में दर्ज आराजीयात जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में किया गया है से करना चाहता है। इस विनिमय के लिये प्रार्थी क्रमांक 1 से प्रार्थीगण क्रमांक 2 से 4 सहर्ष सहमत है। वर्तमान में भी प्रार्थी क्रमांक 1 के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज आराजीयात पर आधिपत्य प्रार्थीगण क्रमांक 2 लगायत 4 का है तथा प्रार्थीगण क्रमांक 2 लगायत 4 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजीयात पर आधिपत्य प्रार्थी क्रमांक 1 का है तथा लम्बे समय से आपस में इसी अनुसार काबिज होकर आराजीयात का निरंतर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। इसलिये राजस्व रिकोर्ड में उक्त अनुसार आपसी विनिमय करते [illegible] के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कराना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] की तलब किया गया । विपक्षी तहसीलदार बडीसादडी द्वारा दिनांक 2[illegible] गई। [illegible] अनुसार
1– आराजी नं. 215 रकबा 0.27 [illegible] आराजी नं. 218 [illegible].08 हैक्ट. किस्म चाही 4 एवं आराजी नं. 222 रकबा 0.48 [illegible] किस्म चाही 2 कु[illegible] 3 रकबा 0.83 हैक्ट. भूमि सीताराम पिता भगवानलाल हिस्सा पूर्ण जाति मालु खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।
2– मौके पर उक्त आराजी नम्बर 215, 218, 222 कुल किता 3 रकबा 0.83 हैक्ट. भूमि पर कब्जा आराजी नम्बर 215 प्रकाशचन्द्र, श्यामलाल व हिरालाल पिता आत्माराम महाजन आराजी नम्बर 218 प्रकाशचन्द्र, श्यामलाल व हिरालाल पिता आत्माराम महाजन आराजी नम्बर 222

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

हिरालाल पिता आत्माराम महाजन वगैरह मौके पर आराजी नम्बर 222 में चौड़ाई 32.5 मीटर एवं लम्बाई 67 मीटर का पक्का गोदाम निर्मित है। जिसके रकबा 0.2177 हैक्ट. एवं शेष रकबा पर कृषि कार्य हो रहा है।

3- मौजा सुथारिया खेडा खाता संख्या 8 सम्वत 2076-79 खसरा संख्या 213 रकबा 0.27 हैक्ट. किस्म बारानी 4 खसरा संख्या 220 रकबा 0.06 हैक्ट. किस्म चाही 4 एवं खसरा संख्या 221 रकबा 0.49 हैक्ट. कुल किता 3 रकबा 0.82 हैक्ट. भूमि प्रकाशचन्द्र श्यामलाल हीरालाल पुत्र आत्माराम जाति महाजन के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त खसरा संख्या 213 रकबा 0.27 हैक्ट. खसरा संख्या 220 रकबा 0.06 हैक्ट. व आराजी 221 रकबा 0.49 हैक्ट. कुल किता 3 रकबा 0.8200 हैक्ट. भूमि पर कब्जा व काश्त सीताराम पिता भगवानलाल मालु का है।

तहसीलदार बडीसादडी की नई जांच रिपोर्ट दिनांक 16.01.2025 के अनुसार 1- खातेदार सीताराम पुत्र भगवानलाल मालू के नाम आराजी नं. 214 रकबा 0.2700, आराजी नं. 215 रकबा 0.2700, आराजी नं. 218 रकबा 0.0800, आराजी नं. 222 रकबा 0.4800 कुल किता 4 रकबा 1.1000 दर्ज रिकार्ड है। 2- प्रकाशचंद्र श्यामलाल हीरालाल पिता आत्माराज महाजन के नाम आराजी नं. 213 रकबा 0.2700, आराजी नं. 219 रकबा 0.0600, आराजी नं. 220 रकबा 0.0600, आराजी नं. 221 रकबा 0.4900 कुल किता 4 रकबा 0.8800 दर्ज रिकार्ड है।

मौके पर कब्जा काश्त अनुसार -

1- सीताराम पिता भगवानलाल मालु आराजी नं. 213 रकबा 0.2700, आराजी नं. 220 रकबा 0.0600, आराजी नं. 221 रकबा 0.4900 कुल किता 3 रकबा 0.8200 कब्जा होकर काश्त कर हे है। एवं तीनो आराजी आपस मे जुडे होकर एक चक में स्थित है।

2- प्रकाशचन्द्र श्यामलाल हीरालाल पिता आत्माराज महाजन खातेदार आराजी नं. 215 रकबा 0.2700, आराजी नं. 218 रकबा 0.0800, आराजी नं. 222 रकबा 0.4800 कुल किता 3 रकबा 0.8300 पर कब्जा होकर काश्त कर रहे है जिसमे से आराजी नम्बर 218 एवं 222 एक चक में स्थित है जबकि आराजी नं. 215 की सीमा उक्त दोनो आराजी से लगती हुई नहीं है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई । हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रार्थी के बयान एवं तहसीलदार से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर वकील प्रार्थी की बहस पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात का विनिमय सहमत है। ऐसी परिस्थिति में ग्राम सुथारिया खेडा पटवार हल्का बोहेडा में स्थित उपरोक्तानुसार आराजी पर विनिमय की स्वीकृति दी जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाकर ग्राम सुथारिया खेडा की प्रार्थी क्रमांक 1 सीताराम की खातेदारी की आराजी नंबर 215 रकबा 0.2700 हैक्ट., आराजी नं. 218 रकबा 0.0800 हैक्ट., आराजी नं. 222 रकबा 0.4800 कुल किता 3 रकबा 0.8300 हैक्ट. की खातेदारी का विनिमय करते हुये प्रार्थीगण क्रमांक 2 लगाायत 4 के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे तथा प्रार्थीगण क्रमांक 2 लगायत 4 की खातेदारी की आराजी नं. 213 रकबा 0.2700, आराजी नं. 220 रकबा 0.0600, आराजी नं. 221 रकबा 0.4900 कुल किता 3 रकबा 0.8200 हैक्ट. की खातेदारी का विनिमय करते हुये प्रार्थी क्रमांक 1 के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में - " नियमों के परिपेक्ष्य में कोई स्टाम्प डयूटी बनती हो तो राजकोष में जमा करवाने के पश्चात" अमलदरामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बडीसादडी को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 [illegible] कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट बडीसादडी चित्तौड़गढ़ (राज.)